भारतीय स्टेट बैंक

शेयरधारकों की महासभा

उपस्थिति पर्ची

दिनांक :

फोलियो क्र :

डी.पी. / ग्राहक आई.डी.क्र. :

शेयरधारक/ प्रथम धारक का पूरा नाम :

....

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे/डी.पी. के रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता : ....

.... पिन

कुल धारित शेयरों की संख्या :

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक, मतपत्र द्वारा

मतदान के मामले में : से तक

क्या भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम 31*के अनुसार मत देने का अधिकार है : हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो मतों की संख्या जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में) :

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप से										
प्रॉक्सी के रूप में										
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में										
योग										

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

सील/मोहर :

नोट :

i) भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

ii) यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारी है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

iii) वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

iv) शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभास्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाणपत्र जैसे - पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

विनियम 31* मताधिकार का निर्धारण

i) अधिनियम की धारा 11 मे संविष्ट प्रावधानों के अध्यदीन प्रत्येक शेयरधारक को किसी महासभा की तिथि से तीन माह पूर्व की न्यूनतम अवधि के लिये एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत रहा है । को ऐसी सभा में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार हैं ।

ii) केंद्रीय सरकार को छोड़कर, प्रत्येक शेयरधारक जिसे उपरोकतानुसार मतदान का अधिकार है और जो कम्पनी न होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है अथवा एक कम्पनी होने की दशा में किसी विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता हैं, को हाथ उठाकर मतदान के मामले में एक मत और मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में उस सभा की तिथि से पूर्व की तीन माह की सम्पूर्ण अवधि में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों ले लिये एक मत देने का अधिकार होगा ।

iii) केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिक्त प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ उठाकर मतदान के मामले में एक और मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में उस सभा की तिथि से पूर्व की तीन माह की सम्पूर्ण अवधि में धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार होगा ।

STATE BANK OF INDIA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ATTENDANCE SLIP

Date : D D M M Y Y Y Y

Folio No:

DP/Client-ID No.:

Full Name of the Shareholder/ First holder:
(as appearing on share certificate/recorded with DP) ____________________

Registered address : ____________________

____________________ PIN

Total number of Shares held :

Share Certificate Nos.,
(in case of physical holding) From To

Whether having voting rights in terms of State Bank of India
General Regulation R. 31* Yes / No

If yes number of votes to which he/she is entitled, in case of Poll by ballot.

In person as a shareholder							
As a proxy							
As a duly authorised representative							
TOTAL							

Signature Attested (Signature of Shareholder)
Name:
Designation:
Seal/Stamp:
Note:

i) The Branch Managers/Managers of Divisions of the branches of the State Bank of India (whose signatures are circulated) are authorised to attest the signature of the shareholders, on production of suitable evidence of his/her shareholding to the branch where the shareholders may be maintaining account.

ii) If the shareholder maintains account with a bank other than State Bank of India, the signature may be attested by the Branch Manager of that Bank, affixing the branch seal/stamp to evidence the attestation.

iii) Alternatively, the shareholder may have his/her signature attested by a Notary or a Magistrate.

iv) The signature of shareholders can also be got attested at the venue of the Meeting by the designated officers of the State Bank of India, on production of satisfactory evidence of his/her identification such as Passport/Driving Licence with photograph, Voters Identity Card or such other similar acceptable evidence.

* Regulation 31 - Determination of Voting Rights:

i) Subject to the provisions contained in section 11 of the Act, each shareholder who has been registered as a Shareholder for a period of not less than three months prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote for each fifty shares held by him or it.

ii) Every shareholder, other than the Central Government, entitled to vote as aforesaid who, not being a company is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative or by proxy, shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each fifty shares held by him or it for the whole period of three months prior to the date of such meeting.

iii) The duly authorized person representing the Central Government shall have one vote on a show of hands and, in case of a poll, shall have one vote for each fifty shares held by it for the whole period of three months prior to the date of such meeting.